

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजरथान):** सर, हम इन्हे एसोसिएट करते हैं।

**Reported incident of Loot and Rape in the Lucknow Bound Pushpak Express**

**श्री अजय मारु (झारखंड) :** सभापति महोदय, परसो यानी 21 दिसम्बर को मेरे एक प्रश्न संख्या 404 में जब मैंने रेलवे मंत्रालय से रेल में यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट किया था तो इस बारे में मंत्री महोदय ने गोल-मटोल जवाब दिया था। महोदय, जिस प्रकार गृह मंत्री जी ने कानून व्यवस्था का पूरा जिम्मा राज्य सरकार के ऊपर जड़ दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया, उसी प्रकार मेरा प्रश्न जो रेलवे मंत्रालय से था, उसमें इस प्रश्न को गृह मंत्रालय को देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। महोदय, परसों मध्य रात्रि में, मुम्बई से लखनऊ जा रही पुष्पक ट्रेन में यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, 21-22 दिसम्बर की मध्य रात्रि में भोपाल में उस ट्रेन में जिसकी संख्या 2535 थी, उसमें बोगी नम्बर 3404 में भोपाल से कुछ युवक चढ़े और उन्होंने उस बोगी में यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया और लूटपाट की। तीन यात्रियों को चलती ट्रेन से फेंक दिया और मुम्बई के एक व्यापारी जो अपनी पत्नी और बहू के साथ लखनऊ जा रहे थे, वे नवयुवक बहू को शौचालय में घसीटकर ले गए और तीन दरिन्दों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। महोदय, घटना के समय, उस बोगी में दो वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी पर नहीं हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। मैं सदन से चाहूंगा कि इस तरह जो ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं और जब गृह मंत्री जी ने भी अपने जवाब में दिया है कि बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, उनका हम कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं, तो यह अत्यन्त गंभीर मसला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे।

**श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) :** सभापति जी, यह एक गंभीर मामला है। ट्रेन में जिस महिला के ऊपर कहर टूटा है उसे हम ऐसे ही नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं।

**श्री आर. के. आनन्द (झारखंड) :** सर, यह बहुत गंभीर मामला है...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

**CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**Need for formulating a balanced national mineral and mining policy with particular reference to the export of iron ore and denial of linkages for steel production**

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Mines to the need for formulating a balanced

national Mineral and Mining Policy with particular reference to the export of iron ore and denial of linkages for steel production.

**खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) :** महोदय, अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकार खनिज रियायतें प्रदान करती है। केवल कुछ खनिजों के लिए उन्हें केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। लौह अयस्क भी ऐसा ही एक खनिज है।

**[श्री उपसभापति पीठासीन हुए।]**

जब कभी खनिज रियायत के लिए किसी एक मामले में एक से अधिक आवेदक होते हैं तो कानून में कुछ मापदण्ड हैं जिनके अनुसार उन आवेदकों पर विचार करना है। एक मापदण्ड यह भी है कि आवेदक खानों में एवं खनिज विशेष पर आधारित उद्योग में किसनी पूंजी लगाएगा। परन्तु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मात्र इसी आधार पर फैसला हो। इस्पात कारखाना लगाने के लिए लौह खनन पट्टा दिया जा सकता है। परन्तु कानून में "लिकेज" का कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार खनिज का निर्यात और देश के भीतर उसका मूल्यवर्धन दोनों मान्य आर्थिक कार्यकलाप हैं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि देश और खनन उद्योग के बेहतर हित में दोनों के बीच संतुलन बना रहे।

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा करने और कानून में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पहले से ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

**श्री दीपाकर मुखर्जी :** सर, मुझे खेद है कि हम लोगों का जो कार्लिंग अटेंशन है, उसका जो मर्म है, वह पता नहीं सरकार की समझ में है या नहीं है या, Sir, the Government is not very serious about the issue. As far as the national policy is concerned, the natural resources of a country are the national resources which have to be preserved. मैं तीन बिंदुओं पर बात करूंगा, मंत्री महोदय। इसका कोई जिज्ञा नहीं है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, there cannot be two opinions about it that the rational use of precious resources is imperative for the nation as a whole. इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं नेचुरल मिनेरल्स रिसोर्स के बारे में, तो मंत्री जी की स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि इतने साल हो गये, अभी भी we are not clear, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, how we preserve them. The alarming point is--the Minister of Steel is still not here, Sir; I am going to the iron ore.--यह जरूरी है स्टील पालिसी के लिए। कंसेन्स के आन्वयर आये हैं, इनके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा। ये मिनिस्टर आफ स्टील से रिप्लाय आया है, where it is said

that "the present iron ore reserves...(Interruptions)... सर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है।

**श्री उपसभापति :** मीणा जी, हाउस चल रहा है।

**SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:** Sir, what is very disturbing is this. Will the Minister clarify it? In reply to a question dated 25.11.2005, the Steel Minister says that the iron ore reserves will last for 125 years. यह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि 125 साल के लिए आयरन-ओर रिजर्व है। यह कैसे, किस बेसिस पर केलकुलेशन किया है, यह मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। गलती यही से शुरू हो रही है। हम लोग जो पालिसी की बात कर रहे हैं। डाक्टरी जो करेंगे तो डायग्नोसिस तो प्रोपर होना चाहिए। क्या डायग्नोसिस है ? 125 साल के लिए आयरन-ओर रिजर्व है, यह केलकुलेशन मंत्री जी को नहीं करना है, यह किसने किया है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। They should be taken to task. Why am I saying this? Sir, in the same statement, it is being stated that the reserves of rich iron ore in India are: 11.43 billion tonnes of haematite iron ore and 10.68 billion tonnes of magnetite iron ore. यह थोड़ा टेक्नीकल है। मतलब यह है कि 11 बिलियन टन है हेमेटाइट आयरन-ओर और 10 बिलियन टन है मैग्नीटाइट आयरन-ओर। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन महोदय ने यह केलकुलेशन किया है कि 125 साल के लिए रिजर्व है, I am sure, they have taken, यह 11 और 10 मिलाकर के 22 बिलियन टन्स और उसके हिसाब से उसने आयरन ओर प्रीजर्व प्रोजेक्शन किया है।

मेरा दूसरा प्रश्न है, जिन महोदय ने ये-फिगर्स स्टील मिनिस्टर साहब को दी हैं, आपको तो नहीं दी होगी और यह जो पॉलिसी आ रही है, whether are they aware, हिन्दुस्तान में कोई स्टील प्लांट, जो स्टील मेकर है, that they are using magnetite iron ore. मैं उत्तर दे रहा हूँ 'No'. तो फिर क्या रिजर्व रहता है, so far as steel making is concerned. It is only hematite iron ores that you are using. जो मैग्नीटाइट आयरन-ओर है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं Kudramukh Iron Ore से। But none of the steel makers in this country is using magnetite iron ore. And, not only that; in future, whatever steel plants are coming, when you are reaching 110 million tonnes--our capacity in 2019-2020, that whole expansion is based on hematite iron ore--what is the reserve of hematite iron ore? As per this, it is 11.43 billion tonnes. सर, मैं बारह हजार माल लेता हूँ, बारह हजार पांच सौ. ... (Interruptions)... सर, इसमें आपके कानों की जरूरत है। Sir, you should lend your ear. सर, बारह हजार पांच सौ मिलियन, स्टील मिनिस्टर कहते हैं कि 2019 और 2020 तक इनका स्टील प्रोडक्शन 110 मिलियन टन होगा, उसके लिए जरूरत है 190 मिलियन टन आयरन-ओर की। इसको मान लेता हूँ। अगर आपको 190 मिलियन टन जरूरत है और आपके पास रिजर्व है बारह हजार पांच सौ मिलियन किसने केलकुलेट किया और बारह हजार पांच का

पूरा का पूरा थोड़े ही मिलेगा। यह तो कॉमनसेंस है। You may get recoverable reserve up to, say, 70 per cent. 70 प्रतिशत कर रहे हैं। It is 70 per cent of the reserve. So, it comes to about 8 billion tonnes. अगर 120 मिलियन टन स्टील आपको 2019-20 में जरूरत है तो, you require 190 million tonnes of ore. You just divide 8 billion tonnes with 190 and it comes to 30 to 40 years. Everyone is asking for 61 per cent iron content. Sixty-one per cent iron content is still the limit. It is a necessity on the part of the Government that we preserve this iron ore which is having more than 61 per cent content for years together. This is precious one. This quantum of 125 years, whosoever made it, requires an explanation. Otherwise, we are all duds. We have not understood it, and many people have not understood it. How did they calculate? There is a real conspiracy by some people to mislead the nation. This is the biggest question I am putting before the House and to the Minister. You ask the Steel Minister from where he has got these figures. You ask the Steel Ministry and the Planning Commission. So many committees have been constituted. What have they done? Why can't you preserve still the iron ore for integrated steel-making capacity? What is the reserve of iron ore? We are all saying that it will not last for more than 30-40 years. Who is saying that it is 125 years? If your policy is based on reserve iron ore capacity of 125 years and if that is wrong, then the whole thing requires a review immediately. It just can't be given in this four-paragraph statement. मैं तो समझूंगा कि नेक्स्ट सेशन में the Prime Minister has to come and make a statement on this, if what I am saying is correct or what many people are saying is correct. This is my first point.

The point is that you preserve the reserve. So, the question is: How do you preserve the reserve? There is also lack of seriousness. I would like to know whether the Minister is aware that माइनिंग लीज़ दिया जा रहा है। Is it not a fact that out of 646 mining leases which have been given only 246 are in use? The rest of it is, what you call, possession of lease on paper. Those MUs and steel plants are on paper only. This year also we find a number of such MUs have been signed. I think, 96 MUs have been signed. मतलब क्या है, चक्कर क्या चल रहा है? How do you preserve this reserve? For whom are you keeping this reserve?

मेरा लीज़ के बारे में सेकेंड प्वाइंट है। I would like to know whether the Government is aware of the fact that non-serious mining leases are being taken by steel companies. What is the purpose? Their main purpose is to

sell iron ore. मेन परपस उनका यही है। What are the figures for the last three years? अगर हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हमारा आयरन ओर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, इसको प्रीज़र्व करना है, what has been the production and use inside the country for the last three years? कितना एक्सपोर्ट किया गया है?

In 2004-05, out of 145 million tonnes of iron ore produced, 78 million tonnes of iron ore have been exported. In 2003-04, it was 63 million tonnes. Prior to that, it was 36 million tonnes. How much are we using in this country? 35 मिलियन स्टील हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए 52 मिलियन टन आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी। We are using 50 million tonnes and now we are exporting 73 million tonnes. और आप 73 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आयरन ओर किधर जा रहा है? हमारी आयरन ओर की कॉस्ट है - हमारी कॉस्ट बहुत चीप है, ट्राइबल एरिया है - 350 रुपये पर टन, वही बाहर, the global price is Rs.2,000 per tonne. आयरन ओर एक्सपोर्ट के नाम पर जो हो रहा है, सालों से चल रहा है। Is it not high time to have a policy in this regard to preserve the reserve? अभी जो पास्को का केस था, उसमें हम लोगों की ऑब्जेक्शन इसी बात की थी। Value addition is okay. It requires value addition. There should be value addition. Steel making should be there. Why should we allow any export, if it is 30 years reserve or 32 years reserve or 40 years reserve, in spite of objections from many sides? All right-thinking people objected not to the value addition by steel plants, but to the fact that it is being exported. Why should it be exported? What action is the Government taking to check, so far as haematite iron ore is concerned, its export? क्या सरकार हमें यह एश्योरेंस देगी, मैं मेग्नीटाइट आयरन ओर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पैसिफिकली हेमाटाइट आयरन ओर एक्सपोर्ट पर keeping in view the period of 30-40 years? मेरे तीन-चार प्वाइंट्स और बचे हैं।

**श्री उपसभापति :** और तीन-चार प्वाइंट्स? ... (व्यवधान)...

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** यह बहुत सीरियस ईश्यू है। हम चाहते हैं, Will the Minister give an assurance that there will not be a single tonnage of export of Iron ore from here on any plea so far as the haematite iron ore is concerned? जो पास्को वाले बोल रहे हैं, हाई एल्युमिना हमारे यहां है, लो एल्युमिना ब्राजील वहां से मंगा लेंगे, That is all \* वह अनपार्लियामेंटरी है, तो काट दीजिए।

\* Not recorded.

**श्री उपसभापति :** यह अनपार्लियामेंटरी है, उसे निकाल दीजिए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: This is our first demand so far as the preservation is concerned. This non-serious MoU which is being signed, there must be some control on it. यह आप स्टेट्स पर नहीं छोड़ सकते हैं। The States should have a power. अब सेकेंड बिन्दु पर मैं आ रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** यह पहला बिन्दु है क्या?

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** मेरे तीन बिन्दु हैं।

**श्री उपसभापति :** अब तक पहला बिन्दु हुआ?

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** अब तक पहला हुआ, How to preserve?

**श्री उपसभापति :** थोड़ा जल्दी बोलिए।

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** सर, जल्दी क्यों बोलें? थोड़ा दो-चार मिनट तो बात करने दीजिए।

**श्री उपसभापति :** अभी बहुत से स्पीकर्स हैं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: My first issue is, ensure the reserve. उसके लिए ऐश्योरेंस . My second point is ensuring the linkage. Some one has told it very nicely; I found in certain papers beautiful words which he has used. We have heard about religious fundamentalism. We have heard about market fundamentalism. Now what is being done in the steel sector is known as ore-fundamentalism. "जिसकी लाठी, उसकी भैंस" Iron-ore-fundamentalism. It means जिसकी लाठी, उसकी भैंस यानी जिसके पास ore, वहीं स्टील प्लांट होगा। दिग्विजय भाई वहां बैठे हैं। I am not taking any sort of a parochial approach. But this is an issue of iron ore. We are having coal in Bihar, Orissa, Jharkhand. We had been at the receiving end, when equity was there. There has to be a rationale, not arbitrary, there has to be a judicious policy guideline from the Government of India so far as linkage of iron ore is concerned. The Dang Committee was formed, but there is no

reference of Dang Committee. They have specifically said that linkage must be given first priority to those public sectors which are making steel and those private sectors which are already having integrated steel plants and that a prioritisation is there. But that prioritisation is not being accepted by certain States. Would the Centre remain a silent spectator to that?

**श्री उपसभापति :** यह दूसरा हुआ?

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** यह दूसरा हुआ।

**श्री उपसभापति :** अब तीसरे पर आइए।

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** तीसरे पर मैं आ रहा हूँ। उसमें मेरी डिमांड यही है, मुझे केवल भाषण नहीं, मुझे ऐश्वर्य चाहिए। तेलुगूदेशम वाले चले गए क्या?

**श्री उपसभापति :** वे हैं।

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** राष्ट्रीय इस्पात निगम, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ - राष्ट्रीय इस्पात निगम, विजाग स्टील प्लांट। they are not having an iron ore linkage properly. They are having a lot of problems. They are giving applications one after another, but they are not getting linkages; whereas, प्राइवेट सेक्टर जहां मरजी वहीं लिंकेज होता है। यह सरकार की खूबी है कि "इसको" ...दिग्विजय भाई कहाँ गए? दिग्विजय भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से कि "इसको" और "सेल" का जो लिंकेज है, एक साल से चिडिया माइन्स, गोवा का लाइसेंस पड़ा हुआ है, रिन्यू नहीं हो रहा है। It is not only for IISCO...

**श्री यशवंत सिन्हा (झारखंड) :** सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

**श्री उपसभापति :** इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कैसे होगा?

**श्री यशवंत सिन्हा :** इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए है कि चिडिया माइन्स का जहां तक सवाल है, The matter is *sub judice*, as the hon. Member is aware, SAIL has already gone to the Jharkhand High Court. तो उस पर चर्चा यहाँ होनी चाहिए या नहीं, यह आप तय कर लीजिए।

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने राष्ट्रीय इस्पात से शुरू किया, वाइजिंग से, "इसको" पर मैं बाद में आया, क्योंकि मुझे यह भी मालूम है कि उसी माइन्स से बोकरो प्लांट में भेजा है। पूरे स्टील का existence.. the SAIL has taken over the IISCO only for those mines. The whole existence of SAIL will be in jeopardy unless linkage is done immediately in these two-three mines. सर, हो नहीं रहा है। मैं तो आपके माध्यम से, Through you, sir, I will request Shri Yashwant Sinha, Mr. Digvijay Singh to use their influence इन पब्लिक सेक्टर्स का जो लिंकेज है वहां, उसके लिए कोर्ट-कचहरी का मामला बंद करा दीजिए। If you can intervene and tell the State Governments, they can have a discussion, with the Central Government. I am telling them, through you, Sir...

**श्री उपसभापति :** अब थर्ड प्वाइंट पर आइए, मिनिस्टर साहब बैठे हैं।

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** सर, मैं बता रहा हूँ।

**श्री उपसभापति :** आप क्लेरिफिकेशन पूछिए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I want an assurance from the Central Government of India. They cannot do that. The ownership of IISCO and SAIL is with the Government of India. It is the Government of India's business. Let them give an assurance that they would see to it that, so far as the linkage of public sector undertakings and the existing implicated steel plants are concerned, that linkage will not be disturbed under any account. This is the assurance which I want.

**श्री उपसभापति :** दीपांकर जी, आपके तीन प्वाइंट्स हो गए हैं? क्या यह एश्योरेस तीसरा है? आप जल्दी कीजिए।

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** सर, यह चौथा एश्योरेस है। सर, एक और पॉलिसी कमेटी, हुड्डा कमेटी बनी है -डॉंग कमेटी हो गई, उसका रेकमेंडेशन has not been accepted. This decision by committees will not do. It is a serious issue where the steel-makers are having a problem. It is a question of preservation of iron ore. Decisions by Committees without any time-bound schedule cannot go. The Government has to come out that if a steel plant has to remain, whether the location point will be the only point to be decided. And, can it arbitrarily give this decision-making power to the States? Would other facilities like power, infrastructure, electricity, cooking coal, part, etc. not be



taken into account? Can any State, in isolation, take a decision regarding such natural resources? Would this be a prerogative of that State Government? Will they ensure that some XYZ would not come in that State? There, a judicious decision, the Government must ensure, would come from them; not this kind of statement. This shows a similar lack of seriousness as is being seen in the 1996 MOU signed in respect of iron ore. I would like the Government to immediately, seriously, ponder over this, take certain decisions and come to the House with this decision, not the decision of making another committee, but a decision on these three issues which I have raised. Thank you.

**श्री उपसभापति :** श्री अजय मारु। आपके तीन निम्न हैं और यह टाइम फिक्स है। आप प्वाइंट्स, क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिए।

**श्री अजय मारु (झारखंड) :** उपसभापति महोदय, आज जिस विषय पर कालिंग अटेंशन है, मैं बीपांकर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने पहला यह मुद्दा उठाया है, जो रिजर्व आयरन ओर माइन्स एंड मिनरल पॉलिसी के बारे था, लेकिन फिर इस कालिंग अटेंशन में आयरन ओर एक्सपोर्ट भी जोड़ दिया गया। मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, वह प्रदेश खनिज भंडार से भरा हुआ प्रदेश है। वहाँ पर कई ऐसे मिनरल्स हैं, जो हमारे देश में रिजर्व है, उसका तीस प्रतिशत मिनरल इसी प्रदेश में है। जहाँ तक बीपांकर दा ने हमारे आयरन ओर का जो रिजर्व बताया है, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं कि 22 हजार मिलियन मीट्रिक टन जो रिजर्व है, वह सही है। लेकिन जो खान मंत्रालय और स्टील मंत्रालय ने यह कहा है कि हम सवा सौ साल तक अपने उद्योगों को वे खनिज दे सकते हैं, यह सरासर गलत बात है। महोदय, सबसे पहला सर्वेक्षण 1980 में आयरन ओर के बारे में हुआ था। उस समय 17500 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर का रिजर्व हमारे देश में था। फिर उसके दस वर्षों बाद 1990 में यह सर्वेक्षण हुआ तो आयरन ओर का रिजर्व 22500 मिलियन मीट्रिक टन बताया गया। उसके बाद से अब तक 15 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन यह सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जब दस वर्षों में यह रिजर्व पांच हजार मिलियन मीट्रिक टन बढ़ गया था, लेकिन 1990 के बाद से यह सर्वेक्षण नहीं हुआ है। महोदय, जहाँ तक हमारे प्रदेश झारखंड की बात है, जो सर्वेक्षण आज से 15 वर्ष पूर्व वहाँ पर हुआ था, उसमें 3700 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1947 से 1948 में 1950 में 1972 में और 1980 में 'इसको' को जो दस माइनिंग लीज दी गई, महोदय, मैं खाली आंकड़े दे रहा हूँ, जो उसका रिजर्व था, वह 2400 मिलियन मीट्रिक टन था।

**श्री उपसभापति :** आप मंत्री जी से क्या क्लेरिफिकेशन पूछना चाहते हैं, वह बताइए।

**श्री अजय मारु :** महोदय, मैं केवल दो-तीन मुद्दे बता रहा हूँ। झारखंड में जो बाकी माइन्स बची हुई हैं, उसमें केवल 1200 मिलियन मीट्रिक टन है। अभी जो हमारे प्रदेश में MOUs साईन हुई हैं, उनके हिसाब से अगर देश में स्टील प्रोडक्शन का लक्ष्य 2019-20 तक

110,115 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया है, जो झारखंड में जितनी MOUs साईन हुई हैं, अगर वे घरातल पर आ जाती हैं, तो केवल 83 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन केवल झारखंड में ही होगा। लेकिन उस समय हमें 125 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर की आवश्यकता होगी। इसलिए हम अपनी मांग को ही पूरा नहीं कर सकेंगे, तो हम दूसरे प्रदेशों को कैसे देंगे? पहली बात यह है। महोदय, जो सर्वेक्षण हुआ था ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** आपको जवाब मिल गया।

**श्री अजय मारु :** जो सर्वेक्षण हुआ था, वह सर्वेक्षण आयरन ओर कंटेन्स 62 प्रतिशत के आधार पर हुआ था। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम नई टेक्नोलॉजी लाएँ और जो आयरन ओर 62 प्रतिशत होता है, उसमें पत्थर होते हैं, लेकिन जो फाइन्स होती हैं, हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं और बाद में हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। महोदय, आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें 45 प्रतिशत से अधिक जो आयरन ओर कंटेन्स हैं, हम एक टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे भी पत्थर का आकार दे सकते हैं। उसके द्वारा हम इसे आयरन ओर में ला सकते हैं। महोदय, इसमें जो चिड़िया माइन्स की बात हुई, मैं यह मानता हूँ कि यह मैटर सब ज्युडिस है।

**श्री उपसभापति :** जैसा यशवंत सिन्हा जी ने बताया कि यह मैटर सब ज्युडिस है, इसे मत लीजिए।

**श्री अजय मारु :** महोदय, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात हुई। 1947 से लेकर 1980 तक उनको 10 माइंस दी गई हैं और वहाँ 2300 मिलियन टन का रिजर्व है। लेकिन पिछले 20 वर्षों से सरकार की जो कंपनी है, वह केवल 5 लाख टन खनिज ही एक्सप्लोर कर रही है, जबकि उसके पास 2300 मिलियन टन का भंडार था। जब वह वहाँ से खनन नहीं कर रही थी, तब झारखंड सरकार ने, उसके जो 10 में से 5 खनन क्षेत्र थे, उनको रद्द कर दिया।

**श्री उपसभापति :** आप जो है, you are making a speech. Please ask your clarification.

**श्री अजय मारु :** मैंने जो टेक्नोलॉजी की बात की ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** आप उसे क्लैरिफिकेशन में लाइए न।

**श्री अजय मारु :** दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि बॉक्साइट और आयरन ओर के एक्सप्लोरेशन के लिए, जो 1980 से अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए

झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार से एक अनुरोध किया है, ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन की तरफ से 15 करोड़ रुपए की मांग की है, ताकि वह एक्सप्लोरेशन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर और भी आयरन ओर के खान निकल सकते हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जो इंडियन माइंस ब्यूरो है, उसका ऑफिस पटना में है, जबकि बिहार में कोई माइंस नहीं हैं। झारखंड बने आज पाँच वर्ष हो गए। समय-समय पर झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ माइंस का कार्यालय झारखंड लाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह भी होना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शाखा, आज जहाँ पर झारखंड में माइंस हैं, चाहे वह ईस्ट सिंहभूम हो या वेस्ट सिंहभूम हो या सरायकेला हो, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स हों, इनमें जो भी एक्सप्लोरेशन का काम होता है, वह ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कोलकाता शाखा है, उसके द्वारा होता है, जबकि झारखंड में इसकी जो शाखा है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की झारखंड की जो शाखा है, उसको और एक्टिव किया जाए।

महोदय, दीपांकर दा ने जो एक और प्रश्न उठाया कि आज हम केवल बड़े-बड़े उद्योगों को यह माइनिंग लीज दे रहे हैं। उड़ीसा में 44 माइनिंग लीज साइन हुईं और झारखंड में भी करीबन 2 एमओयू साइन हुईं और दो लाख करोड़ के एमओयू झारखंड में भी साइन हुए। अभी झारखंड और उड़ीसा में जो उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों को, जो चल रहे हैं, उनको हम मिनरल्स और आयरन ओर नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते वे 1500 रुपए टन तक में बाजार से या बाहर से लाकर अपने उद्योगों को चला रहे हैं, जो वायबल नहीं है। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जो उद्योग पहले से स्थापित हैं, उनको आयरन ओर की लीज दी जाए, उनको माइंस से आयरन ओर दिया जाए। यही उद्योग हैं, जो ज्यादा रोजगार दे पाते हैं और सरकार को रेवेन्यू भी देते हैं। महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि पहले हमारे जो देशी उद्योग हैं, चाहे वे छोटे हों चाहे मझले हों चाहे बड़े उद्योग हों, उनको मिनरल्स मिलना चाहिए। जो पॉलिसी बनती है, उसमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोयला में भी केन्द्र सरकार की और कोल मंत्रालय की जो नीति हो रखी है, वह छोटे उद्योगों को कोयला नहीं देती है, लिंकेज नहीं देती है। इसके बाद वह किसी एनजीओ को या इस तरह के आर्गनाइजेशन को थोप देती है, किसी भी आर्गनाइजेशन को थोप देती है। वे बाजार में खुलेआम कोयला बेचते हैं, लेकिन इन उद्योगों को कोयला नहीं देते हैं। अगर मिनरल्स के बारे में, आयरन ओर के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, तो ये उद्योग भी मर जाएंगे। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jairam Ramesh. ...*(Interruptions)*...  
मंत्री जी, अभी तीन-चार मंवर और हैं, उन के बोलने के बाद बोलिएगा। आप पॉइंट्स नोट कर लें। ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, I was not expecting to speak because there is hardly any clarification one can seek on a statement like this. But, I was provoked to speak by the intervention that hon. Member, Mr. Dipankar Mukherjee made. Mr. Dipankar Mukherjee, please lend me your ears. ...*(Interruptions)*... Please lend me your ears.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Ministry will reply to your points, not Mr. Dipankar Mukherjee.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I think, Mr. Mukherjee in the context of this Calling Attention Motion, has diverted the entire discussion into a discussion on steel policy and iron-ore linkages, which, in many ways was the subject matter of this Calling Attention Motion as well. But, there is a larger issue of mineral depletion policy, how reserves are actually ...*(Interruptions)*... what the depletion rate is. Sir, the larger issues, unfortunately, have got relegated to the background, and this has become a sort of exposition on public sector fundamentalism, West Bengal fundamentalism and all that. I think that is a separate issue. I think, Sir, we are on the last day of the Session.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is West Bengal imperialism.

SHRI JAIRAM RAMESH: When we meet again, I think, we do need to discuss the National Steel Policy, which was unveiled recently by the Government. I think there are very legitimate issues that have been raised on what should be the appropriate mix between the export of iron-ore and domestic production of steel. I think there are large issues that have been raised in the context of the POSCO Project in Orissa. But, there is also the larger issue of how much of Bailadila ore should actually be exported, how much of long-term contracts that India should be entering into with countries like Japan and South Korea, which we have over the past few decades. So, I think there is a larger issue in it, and I do want to draw the attention of the Government that when we meet again, we should have a proper discussion on this whole area. Because I am not one of those who believe that we should overnight put a stop to all exports of iron-ore. It is simply not realistic; it is not possible. But, I am sympathetic to the view that we are today, perhaps, exporting more ore than we should be; and we should be adding value in our own country and export semi-finished or

finished steel. So, I am quite sensitive to that point of view. And, I do believe that this debate should take place in the context of the National Steel Policy.

Sir, the other point that the hon. Member has raised, which is competitive MoU signing between the east Indian States. I think that is also a very important issue because we gave up the whole policy on freight equalisation in the early 1990s; I was part of the Government; and we took a conscious decision at that time, Sir, because we believed that freight equalisation which was adopted in the middle fifties discriminated against the eastern region, eroded the competitive advantage of the eastern region, and we consciously did away with the problem of freight equalisation. Now, I do believe that some new anomalies may have crept in. Some State Governments are little more aggressive in signing all these MoUs. But, the fact of the matter is, these States, whether it is Jharkhand, or, whether it is Orissa are mineral rich, are resource rich States. So, we cannot simply brush away the manner in which they have entered into these agreements with steel majors. After all, the people who are coming in to signing these MoUs are not restaurants, or, airline companies, or, fly-by-night operators. These are well-established steel companies, the world's largest steel producers. It is a matter of pride today, Sir, that he is a Non-Resident-Indian; he is coming to India; and he is exploring investment opportunities in this country. So, we shouldn't in no way dampen the spirit for private investment in the steel industry. I believe, there is a role for the public sector; there is a role for the private sector. I think all these issues should be debated in the context of the proper mix between how much of ore we should be exporting, and how much of steel we should be exporting. So, to that extent, I am completely in sympathy and agreement with Mr. Dipankar Mukherjee.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, by and large most of the issues have been covered. I will seek an assurance from the hon. Minister and then finish my speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I see that you have a lot of material. After Mr. Dipankar Mukherjee, Mr. Ajay Maroo and Mr. Jairam Ramesh, you can put only pointed questions now.

SHRI R.S. GAVAI: Certainly, Sir, because I am an obedient man. Sir, mineral ores have to be preserved. The Planning Commission has said that that drastic changes were required in the Mines and Mineral Development (Regulation) Act and the National Mineral Policy which were acting as an impediment to the foreign and domestic investment in the mining sector. This is number one. Number two, Sir, recently there was a survey as far as mining is concerned. My third question is about the storage that we have at our disposal. I would like to know whether it is being properly exhausted or not. These are the three questions regarding the prospective mineral wealth and encouraging the export and import. Thank you.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am not going to take much time. I will seek only clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Pertaining to Andhra Pradesh!

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, while it is an accepted fact that we are exporting mineral wealth to many other countries and ignoring the local needs. We are aware that the developed countries are preserving their wealth and exploiting the developing countries. Sir, in the presence of this policy of developed countries, we should have a review of the mineral wealth, which we are going to leave for the generations to come. Sir, as far as Andhra Pradesh is concerned, -- I will confine myself to Andhra Pradesh -- there are two issues; one is regarding the Vizag Steel Plant, which is known as the Rashtriya Ispat Nigam Limited. Sir, it was established after a long fight in Andhra Pradesh. A lot of agitation was there. Ultimately, the Government of India established it. Now, about four or five years back, there was a rumour that it was going to be closed. Since the hon. Minister has stated in his statement that Iron ore leases may be granted for setting up of a steel plant, however, there is no provision of linkage under law, I would like to know from the hon. Minister, since he has constituted a high level committee under the chairmanship of a member of the Planning Commission to review the National Mineral Policy of 1993 and to recommend possible amendments in the law, whether this is going to be part of that deliberation. If it is there, when it is likely to come up and if it is not there, what is the thinking of the Government and whether the hon. Minister is willing to suggest to the committee to come up with amendments

to the existing law. Sir, as far Vizag Steel Plant is concerned, Shri Dipankar Mukherjee has dealt with this issue very effectively. There are requests from the management of the company there. I would request the hon. Minister to place all the information regarding the Vizag Steel Plant before this House. Sir, the second point is about barytes deposits in Andhra Pradesh particularly in Kadappa district. What is the status? Since you are going on leasing the land without any mechanism in the field and because you do not have mechanism and men at the field level, the person who is taking lease for so much of area, he is extending it to much more than that area. There is absolutely no control. I want to know whether any study has been conducted on the environmental effect apart from the health hazards in the area where this exploration is taking place. Sir, finally, I would like to seek only one clarification regarding the cess. The local bodies are entitled to this cess. As a matter of fact, the cess out of these mining leases is not properly accounted, audited, and debited to the local bodies. What is the status?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How do local bodies come into picture?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: It is a State subject, I do agree. But, at the same time, certain leases are done only with the consent of the Central Government and by virtue of this consent, the Government of India is getting money, the State Governments are getting money but not the local bodies. For that simple reason, I wanted this clarification. Thank you.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): I must say that Dipankar Da has raised a very major issue about drawing our attention to the exhaustive nature of iron ore resources. The only point that I defer from him is that that does not justify. We should ban or restrain exports. I think the point here is: exports at what price? The price of exports must reflect the scarcity. In other words, the current international price is not necessarily the price that should be accepted and we should have our own reserve price and that price should reflect the scarcity. Now what does this imply, Sir? I think the Minister may like to take note of this. It would imply that if our exports do not receive that reserve price we should not export. Secondly, if the zone is used by some steel mills, Mr. Dipankar Mukherjee is very right in pointing out that if steel mills are set up, Mr. Deputy Chairman,

Sir, to export iron ore then this is a violation of policy. Mr. Dipankar, I am making a point, which is very much connected with your Minister, and you would like to take note of that. It means that if a particular steel mill is using the iron ore for a captive basis and then exporting that to make that export profit, the only way to stop this is to charge an international price to that steel mill for the iron ore use so that this extra profit which the mill is actually earning is fully taxed. I hope the Minister has taken note of this. This would change many of the steel mills that have been actually granted, who have taken lease and taking advantage of that lease and getting iron ore at less than international price and getting that profit converted into their own business. This is a major point, Sir, which will change the whole policy of pricing and also exporting licensing. The second point and this again is Dipankar's point, is the question of linkage. If we have to discuss something about rationing of the limited resources we have, we have to think of the methods or the criteria on the basis of which rationing will take place. In that criteria, only market price is not sufficient. We have to take into account the inter-dependence, the other units that are coming up. Mr. Dipankar Mukherjee has talked about public sector units which have very good rationale but I will not limit only to that. I would say that in rationing the most important point you must take into account the existing and potential future use of inter-dependence. From that point of view, I think Mr. Jairam Ramesh is very right. Many of the Eastern States, which are completely bereft of this facility, should get preference. But the mills of the institutions which are already there are suffering. As a result of that many other ancillary units will go out of business. Many people will go out of employment. So, it is not just a question of price. It is the total inter-dependence that is necessary. So in the linkage policy, I may submit to the hon. Minister that he has to take into account the totality of the picture. So the first point is, what should be the price at which the exports will be done? Those who are using the exportable products must take that price. This will go totally against the...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute. It is one o' clock. I will take the sense of the House that we will skip lunch hour because today is the last day of the Session. We will continue some of the Special Mentions. I take the sense of the House that we will skip the lunch hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.



[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE) in the Chair]

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, can I continue for one more minute?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Yes, yes.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: So, I just want to put forward this position for the hon. Minister to consider. It is necessary, now, to formulate a new policy. I don't mind if another Committee is established or something as Mr. Dipankar Mukherjee is talking about. But, we must be very clear in this new liberal regime where we do want foreign investment. We must have a particular policy for exhaustible resources, like iron ore, coal, etc. We need foreign investment. We need new technology, etc. But, we must not allow this to be a pretext of exporting at a price and the benefit of that goes to the foreign investor. And, this is a very major point. We must have a price charged to the foreign investor equal to the export price or the opportunity cost of that.

The final thing that I would like to mention, and this is where Dipankar was absolutely right, is to establish linkage, because you have to ration the use of it. You have a very limited resource. And the resource is going to be exhausted very quickly. You have to ration it. You must consider very seriously the iron rationing linkage. Thank you.

**श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जमाना मिली-जुली सरकारों का जमाना है - केन्द्र में भी गठबंधन की सरकार है, कुछ प्रान्तों में भी गठबंधन की सरकारें हैं। लोकतंत्र इस स्तर पर आ गया है, क्योंकि हम सब लोगों का ध्यान इस देश के विकास पर है। हमारा ध्यान इस पर है कि जैसे भी हो GDP में वृद्धि हो और GDP की वृद्धि के साथ-साथ हमको यह भी देखना होगा कि TDP भी रहे, PDP भी रहे, RJD भी रहे, BJD भी रहे, समता रहे, ममता रहे, लेकिन हमारी नीयत और दिल साफ होना चाहिए।

इस देश के विकास के लिए, हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए खान मंत्रालय एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अगर कोई गृह मंत्री बन जाए तो लोग सोचते हैं कि बड़ा नेता होगा, अगर कोई विदेश मंत्री बन जाए तो लोग सोचते हैं कि बड़ा नेता होगा, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, लेकिन इस देश का अगर हम विकास चाहते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका देश के विकास में है, उसी प्रकार खान मंत्रालय की भी देश के विकास में

अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं समझता हूँ कि 19 महीने हो गए हैं, आप UPA को युनाइटेड भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, लेकिन इस देश की प्रोग्रेस के लिए खान मंत्री जी कितने गंभीर हैं, यह मैं बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि खान मंत्री जी एक सीनियर नेता हैं, वे इस देश के एक कद्दावर नेता हैं, लेकिन जैसे भीम अपनी ताकत का आंकलन नहीं कर पाता था, उसी प्रकार शायद मंत्री जी अपनी ताकत के बारे में - वे क्या कर सकते हैं, किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, सोचते नहीं हैं। आज यह जो श्री नीलोत्पल साहब का कार्लिंग अटेंशन आया है राष्ट्रीय खनन नीति तैयार करने के बारे में...(व्यवधान)...

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** आप मेरा नाम लीजिए, मैं इसे लाया हूँ।

**श्री रुद्रनारायण पाणि :** ठीक है, वैसे मैंने बसु जी का नाम देखा था, पहला नाम बसु जी का है लिस्ट में। इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण विषय आप लाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय खनन नीति तैयार करने के बारे में कहा गया है, इस पर मंत्री जी ने जो पत्र दिया है, एक पृष्ठ का पत्र, उसमें लिखा है कि इस बारे में योजना आयोग के सदस्य के द्वारा सोचा जाएगा। महोदय, मेरा जहाँ तक ज्ञान है, मैं भले ही नया सदस्य हूँ, इस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति अभी तक गठित नहीं हुई है। The Consultative Committee of the Ministry of Steel & Mines is yet to be constituted.

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ये कब तक नए सदस्य बने रहेंगे? जब भी बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं तो नया मैम्बर हूँ। ये कब तक नए मैम्बर बने रहेंगे?

**श्री रुद्रनारायण पाणि :** सर, मुझे मैम्बर बने अभी सिर्फ डेढ़ साल हुआ है।

महोदय, मैं कह रहा था कि मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति गठित नहीं हुई है। मैंने पिछले अगस्त में इस विषय को विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया था। माईस के बारे में हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र लाठ जी का एक प्रश्न आया था, उस समय भी मैंने यह विषय उठाया था, लेकिन संयोग से उसी समय प्रश्नकाल समाप्त हो गया। उसके बाद, केन्द्रीय कक्ष में भी मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं उसे स्वीकार गठित नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार वे इस विषय पर गंभीर न होते हुए इस तरह का कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि पहले वे तुरन्त परामर्शदात्री समिति का गठन करें और फिर संसद सदस्य जो परामर्श दें, उसी के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए।

महोदय, श्री दीपांकर दा ने ओवर-फंडामेंटलिज्म के बारे में कहा, लेकिन श्री जय राम रमेश जी उसे वेस्ट बंगाल इम्पीरियलिज्म की तरफ ले गए। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि मैगा सिटी फंडामेंटलिज्म नहीं होना चाहिए, देश का मतलब दिल्ली नहीं है, देश का मतलब कोलकत्ता नहीं है, देश का मतलब मुम्बई नहीं है, देश का मतलब चेन्नई या बेंगलूर भी नहीं है।

अभी आपका नैशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन बना, जिसे एनयूआरएम भी कहते हैं, उसमें हमारे कटक का नाम भी आना चाहिए था, लेकिन कटक का नाम आप उसमें नहीं लाए। अगर आप कटक व भुवनेश्वर दोनों को मिला देते हैं, तो वह एक मैगा सिटी भी बन सकती है, इस तरह जो छोटे प्रान्त हैं आप उनकी ओर भी ध्यान दीजिए।

आज बिहार में से झारखंड क्यों बना? इस सदन की सहमति से बना है, इसलिए झारखंड का विकास और अधिक होने की संभावना होनी चाहिए, यह भी आपको करना होगा। इसी प्रकार आपको उड़ीसा की ओर भी ध्यान देना होगा। जिस प्रकार बंगाल में मिलीजुली सरकार को 28 या 30 वर्ष हो चुके हैं, उसी प्रकार सन् 2000 से श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में हमारे यहां भी मिलीजुली सरकार बने आज छः वर्ष हो गए हैं। जिस प्रकार हम लोग एक नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आज देश की खनिज नीति को भी ऐसा ही होना चाहिए।

उड़ीसा में जो 44 एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें स्पॉज आइरन भी है, इस स्पॉज आइरन को भी आपको 'आयरन ओर' का लिकेज देना होगा। साथ ही कोयले की दृष्टि से भी जितने छोटे-छोटे उद्योग हैं, उन सबको भी आपको कोयले का लिकेज देना होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन केवल इतना ही है वे इसे गंभीरता से लें और इसके लिए एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाएं। चूंकि यह मिलीजुली सरकार का जमाना है, इसमें प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। यूपीए की पॉलिसी क्या है, इसे पूरी दुनिया जानती है। यूपीए सरकार एवं हमारे लेफ्ट के मित्र इस देश को किस ओर ले जा रहे हैं। उड़ीसा में प्राइवेट सेक्टर तो आ ही रहा है, पॉस्को आ रहा है, किन्तु यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर है, उसे बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, फिर चाहे वह नवरत्न हो या नवरत्न के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रॉफिट देने वाला प्राइवेट सेक्टर हो। अगर उसे कोई प्राइवेटाइज करने की कोशिश भी करता है तो उसे पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। नार्को हमारे उड़ीसा का गौरव है। उड़ीसा जिस प्रकार कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार वह नार्को के लिए भी प्रसिद्ध है। अखबार में यह रिपोर्ट आ रही है और मैंने भी सुना है कि आप नार्को को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गलती न की जाए। हमने भी एनडीए के अन्दर अपनी पार्टी के नेताओं को समझाया है कि नार्को को बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए, उसके शेयर्स को बेचा नहीं जाना चाहिए और महोदय, नार्को उनके मंत्रालय के अन्तर्गत ही आता है।

महोदय, मैंने इतना कुछ कह दिया और मैं चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से ध्यान दें। मंत्री महोदय की गंभीरता इस ओर बढ़नी चाहिए। ऐसा न हो कि मंत्री महोदय यह कह दें कि जितने समय में ध्यानाकर्षण सीमित है, मैं उतने समय में ही सीमित रहूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका जो कार्य है, उसे आप गंभीरता से लीजिए।

मिलीजुली सरकार के जमाने में कॉन्करेंट लिस्ट ताकतवर हो रही है। केन्द्र के अन्दर इतने अधिक मंत्रालय बन गए हैं कि केन्द्रीय मंत्री कहेंगे कि कृषि राज्य का विषय है, गृह मंत्री कहेंगे कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मिलीजुली सरकार के जमाने में यह सोचना पड़ेगा कि नए-नए कॉन्करेंट लिस्ट के मंत्रालय क्यों गठित होते हैं? पंचायती राज का एक नया मंत्रालय हो गया। आज श्री किन्डिया साहब यहां पर बैठे हैं, ट्राइबल एफेयर्स का केन्द्रीय मंत्रालय गठित कर दिया गया। जो विषय राज्य के हैं, उन विषयों पर केन्द्र में मंत्रालय गठित क्यों किया जाता है? अटल जी की सरकार में भी नये-नये केन्द्रीय मंत्रालय गठित हुए और आपकी सरकार में भी नये-नये केन्द्रीय मंत्रालय गठित हो रहे हैं, जबकि राज्यों में इस प्रकार के मंत्रालय पहले से मौजूद हैं। इसलिए आपको ज्वाइंट सैक्टर के बारे में सोचना होगा, आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में सोचना होगा और उसी के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। महोदय, मेरी बात को सभी ने सुना और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

**श्री शीश राम ओला :** उपसभाध्यक्ष जी, छोटा-सा प्रसंग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत सारी बातें कही गईं। जो होदा समिति बनाई है, उसका कर्तव्य है सिफारिश करना, न कि उसको लागू कर दिया जाएगा। जो सिफारिश आएगी आप लोगों को बताएंगे और माननीय सदस्यों के जो उचित सुझाव होंगे, उन पर बहुत गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाएगा। दूसरे, खान विभाग के जो रूल व नीति है, उसमें कहीं यह नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं जाएगा। आज अधिकतर ये शिकायतें आ रही हैं कि जिन राज्यों में लौह अयस्क है कि वह राज्य नहीं चाहता कि फैक्टरी दूसरे राज्य में लगे। और जो फैक्टरी लगी हुई है, उन्हें भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, चाहे वह प्राइवेट कारखाना है या सरकारी कारखाना है, पर नीति में ऐसा कहीं भी नहीं है। अब एक सवाल आया माननीय सदस्य की तरफ से कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, सम्बन्धित राज्य का, जहां से उत्पादन होता है। यह तीन साल का समय इसके लिए होता है। पिछले साल ही इस पर निर्णय हुआ है, हर दो साल के बाद पुनः जब निर्णय होगा तब आप आपके विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता माननीय सदस्यों ने यह जताई कि हमारे मुल्क में लौह अयस्क नहीं रह गया है, समाप्त होता जा रहा है। 10 साल पहले के आंकड़े हैं, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकता हूँ और माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि उससे लौह अयस्क घटा नहीं है बढ़ रहा है। क्योंकि ज्योलोजिकल सर्वे और दूसरे जो कोई परमिट दिए गए हैं, उनके जो आंकड़े आ रहे हैं, उनसे हमारे पास मेटैरियल पर्याप्त मात्रा में बढ़ रहा है, न कि घट रहा है।

**श्री अजय मारु :** इसका सर्वेक्षण कब हुआ है?

**श्री शीश राम ओला :** आप पूरी बात सुन लें तो तब कहूंगा। जब आप बोले थे तो क्या मैं बीच में बोला था। मैं जो बात कह रहा हूँ वह सुन लीजिए। कब हुआ है, रोज हो रहा है। आपको जानकारी हो तो मैं अर्ज कर दूँ, रोज हो रहा है।

**श्री अजय मारु :** आप बताएं कि लास्ट सर्वेक्षण कब हुआ?

**श्री शीश राम ओला :** आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं, आप खूब बोलिए। इनको बोलने दीजिए, मैं फिर बाद में बोलूंगा।... (व्यवधान)... श्रीमान जी, आपको बात सुननी चाहिए, मैंने भी सुना है।

**श्री अजय मारु :** आपकी पूरी बात सुनने के बाद ही प्रश्न किया है।

**श्री शीश राम ओला :** आपकी मरजी, मैं आपको मना नहीं कर सकता, आपका अधिकार है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जियोलोजिकल सर्वे एक बहुत पुराना विभाग है जो 150 वर्ष पुराना है और आज उसमें अच्छे साइंटिस्ट हैं। यह विभाग आधुनिक तरीके से उसकी जांच कर रहा है, आधुनिक तरीके से सर्वे कर रहा है। वह कोई एक स्टेट में नहीं, पूरे भारत में, समुद्र में, जमीन पर, पहाड़ पर सब जगह सर्वे कर रहा है, जहां भी कहीं कुछ मिलता है, वह राष्ट्र को बताता है। यह उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है, उसका फज है।

इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि सर्वे कब हुआ था। सर्वे तो चल रहा है, हमेशा ही चलता रहता है। दूसरा यह विचार चर्चा में आया कि अमुक कारखाना है, अभी सिन्हा साहब नहीं हैं, उसके बारे में हमारे पास माइनिंग विभाग में अपील आई। श्री दीपांकर मुखर्जी साहब, आप सुन लीजिए। खान विभाग ने उसको नहीं माना है, राज्य सरकार की बात को नहीं माना है। उसको वापिस आदेश दिये हैं, राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इस पर पुनः विचार करके रिन्यु किया जाये। मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए, यह कह सकता हूं कि होदा समिति में करीब 23-24 माननीय सदस्य हैं, जहां पर आयरन ओर ज्यादा है, दूसरे खनिज हैं, उन सब राज्यों के खनिज सचिव भी हैं, भारत सरकार के खनिज सचिव और दूसरे अधिकारी भी हैं और उनकी व्यापक रिपोर्ट आने के बाद उसको देखा जायेगा। आपके समक्ष लाया जायेगा और उस पर जो निर्णय आप लोग मिलकर करेंगे, उसको स्वीकार किया जायेगा। हम हर कार्य राष्ट्रहित में करना चाहते हैं, हम राष्ट्र को विकसित करने के लिए, राष्ट्र को लाभ देने के लिए कृत-संकल्प हैं और रहेंगे। धन्यवाद।

#### **MOTION REGARDING JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE SCHEDULED TRIBES (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) BILL, 2005**

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI P.R. KYNDIAH): Sir, I move: